प्रेस नोट 10.08.2019

थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा–कारतूस बरामद–

जनपद मऊ पुलिस अधीक्षक **श्री अनुराग आर्य** के निर्देशन में अपराध/अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा दिनांक 09.08.19 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर फतिमा मोड़ से गोलू यादव पुत्र सुमिश यादव निवासी सरवां थाना सरायलखन्सी मऊ के कब्जे से एक नाजायज तमंचा व 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0सं0 353/19 धारा 3/25 आयुध्द अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. गोलू यादव पुत्र सुमिश यादव निवासी सरवां थाना सरायलखन्सी मऊ।

बरामदगी–

1. एक नाजायज तमंचा व तीन जिन्दा कारतूस 12 बोर।

थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान बावला पुल से जितेन्द्र मल्ल पुत्र अत्रीमुनी मल्ल निवासी खिरीकोठा थाना मधुबन मऊ के कब्जे 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0सं0 371/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 35 व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 10.08.19 को थाना **घोसी पुलिस** द्वारा शिवबचन निवासी खत्रीपार, राकेश, कमलेश निवासीगण गोड़सरा, गुड्डू निवासी मूंगमास, कमलेश निवासी कन्धेरी थाना घोसी, थाना **कोपागंज पुलिस** द्वारा रमेश चौहान निवासी सोड़सर थाना कोपागंज, थाना **मुहम्मदाबाद पुलिस** द्वारा श्यामसुन्दर, लल्लन निवासीगण वलीदपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर पुलिस** द्वारा पियूष निवासी मिर्जापुर, सुदामा, श्रीकिशुन निवासीगण शमसाबाद थाना रानीपुर, थाना **मधुबन पुलिस** द्वारा प्रवीण, विजय, अनुराग, अजय निवासीगण इटौरा बुजुर्ग, अमरजीत, सोहन निवासीगण काठतरावं, हृदयानन्द, दीनानाथ निवासीगण गांगेवीर, आकाश, जयनाथ निवासीगण ककराडीह थाना मधुबन, वरूण निवासी राजपूताना थाना दक्षिणटोला, थाना **कोतवाली पुलिस** द्वारा अनिल, धनंजय निवासीगण रामपुर चकिया, सतेन्द्र निवासी पठानटोला, अशोक निवासी सहादतपुरा थाना कोतवाली, थाना **सरायलखन्सी पुलिस** द्वारा शुभम सिंह निवासी इब्राहिमपुर, त्रिपुरारी निवासी भरतीपुर, निरंजन,

MEDIA CELL MAU

विनय, अशोक, दीपचन्द्र निवासीगण तेन्दुली, रामजनम निवासी अछार, अमरजीत, देवानन्द निवासीगण हथिनी थाना सरायलखन्सी मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य द्वारा दिनांक 10.08.19 को थाना हलधरपुर व क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय में त्यौहार/अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें क्रमशः सर्किल मधुबन व नगर के समस्त प्रभारी निरीक्षकों ने प्रतिभाग किया जिसमें महोदय द्वारा थाना परिसर में घूम–फिर कर निरीक्षण के दौरान मेस तथा परिसर की साफ–सफाई संतोषजनक न पाये जाने, आरक्षी बैरिको में पंखे चालू हालत में न पाये जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रभारी निरीक्षक को ठीक कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा सम्मन/वारंटो के समय से तामीला न कराये जाने को लेकर फटकार लगायी। आगामी अन्तिम श्रावण सोमवार, बकरीद त्यौहार, रक्षाबंधन व 15 अगस्त के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गहन चर्चा के दौरान त्यौहारों के दौरान विशेष पुलिस अधिकारी व पुलिस मित्रों की ड्यूटी पुलिस कर्मचारियों के साथ लगाये जाने एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य मार्गों पर खराब वाहन त्यौहार के दौरान यातायात में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं जिसको लेकर क्रेन चालकों से संपर्क उनका मोबाइल नम्बर अपने पास रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा थाना क्षेत्रों के हर छोटी–छोटी प्रतिकूल बात पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु सख्त रुप से निर्देशित किया गया। विगत त्यौहार व सांम्प्रदायिक रजिस्टर में पिछले 10 वर्षों की अंकित प्रविष्टियों का अध्ययन करते हुये असामाजिक तत्वों के विरुद्ध 107/16 (3) निरोधात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ समस्त थाना प्रभारियों व साथ चल रहे हमराहियों को आपात/बलवा की स्थिति को समय रहते निपटने के लिये क्या–क्या कार्यवाहियां की जानी चाहिये, के सम्बन्ध डेमो देते हुये विस्तारपूर्वक दिशा–निर्देश दिये गये।

MEDIA CELL MAU